

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/1357

दिनांक 12.10.10


1. समस्त प्रधानाचार्य, आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सम्बद्ध चिकित्सालय।
2. निदेशक, ई.एस.आई./भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
3. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
7. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षेत्रीय क्षय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, अजमेर।

विषय :- सेवारत चिकित्सको के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे।

सेवारत चिकित्सको के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर काउन्सलिंग हेतु गठित समिति द्वारा चयनित चिकित्सको की सूची संलग्न है।

प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2010 से प्रारंभ होगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु चयनित आपके अधीन कार्यरत चिकित्सको को निर्धारित संलग्न प्रपत्र मे 5 लाख रूपये का बाण्ड भरवाकर ही प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करे।

संलग्न : सूची व बाण्ड का प्रपत्र।


  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/1357

दिनांक 12.10.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
5. उप कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने हेतु।

  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

**6 माह के स्कील अप ग्रेडेशन प्रशिक्षण (द्वितीय बैच) हेतु पात्र चिकित्सको की सूची**

S.No	DOCTOR NAME	RANK	SUBJECT	MEDICAL COLLEGE
1	AJAY GODHA	1	ASTHMA & ALLERGY	JAIPUR
2	CHANDRA SHEKHAR GAJRAJ	2	ASTHMA & ALLERGY	JAIPUR
3	VISHNU RAM VISHNOI	5	OBST. & GYN	JODHPUR
4	NIRANJAN SINGH	6	OBST. & GYN	JODHPUR
5	PRAVEEN KUMAR JHARWAL	7	OBST. & GYN	JAIPUR
6	DHIRENDRA KUMAR SAXENA	8	PAEDIATRICES	JAIPUR
7	VISHNU DAYAL MEENA	9	ASTHMA & ALLERGY	JAIPUR
8	GAURI SHANKAR JOSHI	10	PAEDIATRICES	BIKANER
9	RANJANA ARORA	11	OBST. & GYN	KOTA
10	DEVENDRA KUMAR CHAUDHARY	12	RADIODIAGNOSIS	BIKANER
11	KAILASH CHAND	15	RADIODIAGNOSIS	JAIPUR
12	AMUL PAREEK	17-A	RADIODIAGNOSIS	KOTA
13	DINESH KUMAR SONI	19	RADIODIAGNOSIS	JODHPUR
14	KESAR DEV SHARMA	20	RADIODIAGNOSIS	JAIPUR
15	RAM RATAN SINGH	21	RADIODIAGNOSIS	JAIPUR
16	SUWA LAL	22	RADIODIAGNOSIS	JAIPUR
17	TARUN VYAS	23	RADIODIAGNOSIS	UDAIPUR
18	NARENDRA NAGAR	24	RADIODIAGNOSIS	KOTA
19	RATAN PRAKASH NUWAL	27	RADIODIAGNOSIS	AJMER
20	HEMANT KUNDNANI	29	PATHO. & MICRO.	KOTA
21	MANOJ SHARMA	30	PAEDIATRICES	JAIPUR
22	PURUSHOTTAM MEENA	32	PAEDIATRICES	KOTA
23	ANIL JAIMAN	33	RADIODIAGNOSIS	KOTA
24	MUKESH VIJAYVARGIYA	35	RADIODIAGNOSIS	JAIPUR
25	NIDHI SHARMA	36	RADIODIAGNOSIS	KOTA
26	SHER SINGH	37	RADIODIAGNOSIS	JAIPUR
27	SUDHEER KUMAR SHARMA	38	PAEDIATRICES	JAIPUR
28	SANJAY GARG	38-A	PAEDIATRICES	BIKANER
29	AKHILESH KUMAR MEENA	39	OBST. & GYN	JAIPUR
30	CHANDRA SHEKHAWAT	40	OBST. & GYN	JAIPUR
31	RAJESH KAMLANI	41	PAEDIATRICES	JAIPUR

32	SURESH CHAND GUPTA	43	RADIO DIAGNOSIS	JAIPUR
33	ANIL KUMAR SURANA	44	RADIO DIAGNOSIS	BIKANER
34	BAL KISHORE LOKANDA	45	PAEDIATRICES	UDAIPUR
35	RAHUL DEV HARSH	46	PATHO. & MICRO.	BIKANER
36	REENA GOYAL	47	RADIO DIAGNOSIS	BIKANER
37	MANOJ KUMAR GARU	50	RADIO DIAGNOSIS	JAIPUR
38	VASHU DEV MISHRA	51	PAEDIATRICES	JAIPUR
39	RAJENDRA KUMAR CHAUDHARY	52	PAEDIATRICES	BIKANER
40	AMIT ARORA	53	RADIO DIAGNOSIS	BIKANER
41	BABU RAM SARAN	54	RADIO DIAGNOSIS	JODHPUR
42	YOGENDRA VIJAYVARGIYA	56	RADIO DIAGNOSIS	JAIPUR
43	AMIT SAXENA	57	OBST. & GYN	JAIPUR
44	RAKESH AGARWAL	58	RADIO DIAGNOSIS	JAIPUR
45	RAVI TANDON	59	PAEDIATRICES	JAIPUR
46	HAZARI MAL SONI	60	RADIO DIAGNOSIS	JODHPUR
47	JAI PRAKASH PANKAJ	61	PATHO. & MICRO.	JAIPUR
48	RAJESH KUMAR SHARMA	62	OBST. & GYN	JAIPUR
49	VIKAS PAL	63	RADIO DIAGNOSIS	KOTA
50	MAHAVEER PRASAD GODARA	63-A	RADIO DIAGNOSIS	BIKANER
51	SATISH SINGHAL	63-B	RADIO DIAGNOSIS	AJMER
52	BADRI VISHAL MUNDRA	64	RADIO DIAGNOSIS	KOTA
53	SANJAY KUMAR GIJWANI	65	RADIO DIAGNOSIS	BIKANER
54	VIJAY KUMAR MEENA	66	ASTHMA & ALLERGY	JAIPUR
55	ASHOK KUMAR YADAV	67	OBST. & GYN	JAIPUR
56	PANKAJ KUMAR GOYAL	69	PAEDIATRICES	UDAIPUR
57	YOGESH SHARMA	70	PAEDIATRICES	KOTA
58	RAM DEV	71	PATHO. & MICRO.	JODHPUR
59	ROHIT KUMAR MEENA	73	PATHO. & MICRO.	JAIPUR
60	VISHNU PRASAD	74	OBST. & GYN	JODHPUR
61	MUKESH KUMAR SINGHAL	74-A	PATHO. & MICRO.	JAIPUR
62	ASHOK KUMAR ARORA	76	PAEDIATRICES	BIKANER
63	PUSHPENDRA SHARMA	78	PAEDIATRICES	JAIPUR

## परिशिष्ट - 18-बी

राज्य कर्मचारी जिसे प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत (इयूटी) पर माना जाता है, द्वारा निष्पादित करने का बॉण्ड (बंध-पत्र)

यह बंध-पत्र आज दिनांक \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ को एक पक्ष के \_\_\_\_\_ पद पर नियुक्ति डॉ. \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ (जो एतदपश्चात् "प्रशिक्षणार्थी" कहलायेगे) और दूसरे पक्ष के श्री \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ (प्रथम जामिन) और श्री \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ (द्वितीय जामिन) (जो एतदपश्चात् सामूहिक रूप से जामिन कहलायेगे, की ओर से राजस्थान के राज्यपाल (जो एतदपश्चात् सरकार कहलायेगे) के पक्ष में लिखा गया।

चूकिं नियमानुसार प्रशिक्षणार्थी के लिये यह आवश्यक है, कि वह अवधि दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक प्रशिक्षण प्राप्त करे।

और चूकिं सरकार उक्त प्रशिक्षणार्थी को एतदपश्चात् लिखी शर्तों पर इस शर्त पर कि जामिन यह जमानत (security) देगे कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा कथित शर्तों के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखेगे (place) को (सरकार) सहमत हो गई है।

और चूकिं, जामिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसको कथित शर्तों की पूर्णतः अनुपालन निम्न दर्शायी गयी पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये है :

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :-

(1) कि सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को नियमानुसार कर और कथित इकरारनामों के अनुसरण में उसे प्रशिक्षण हेतु चयन के प्रतिफल (consideration) में प्रशिक्षणार्थी एतद्वारा सरकार से संविदा (इकरार) करता है, कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के 5 वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा में न तो त्यागपत्र देगा और न सेवानिवृत्ति लेगा।

(2) उपर लिखित प्रतिफल (consideration) और उक्त कथित इकरारनामों के अनुसरण में, प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद्वारा सहमत हैं, कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूर्ण होने के 5 वर्ष की अवधि के अन्दर, यदि प्रशिक्षणार्थी त्यागपत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (clause) 1 का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन (employment) स्वीकार करता है, तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन संयुक्त रूप और अलग (severally) रूप से राज्य सरकार को वह समस्त राशि अदा करेगे जो सरकार ने प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को दी है एवं इसके साथ वे सब अन्य व्यय भी लौटावेगा जो इसमें सरकार को व्यय करना पड़े किन्तु इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दिये गये यात्रा भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं होगी,

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनो को, प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण के दौरान दी हुई यह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी जब तक कि सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध जान पड़े।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह बंध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनो द्वारा उपर्युक्त अकिंत दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर लिखित जामिनो के स्वामित्व (possess) में स्थाई संपत्ति (immovable property) है, जिसका मूल्यांकन (valuation) रूपये \_\_\_\_\_ से कम नहीं है।

विशेष ध्यान हेतु इस प्रमाण-पत्र में जो राशि भरी जावे वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिये जो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।